

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद**विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :**

श्री सुशील खुराना एवं श्री लंकन खुराना द्वारा नजूल ड्री होल्ड मूखण्ड संख्या-49 (पार्ट) सिविल स्टेशन इलाहाबाद पर निर्मित व्यवसायिक भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री गौरी शंकर, सहायक अभियन्ता श्री ओपीए राम तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पीकेए राौलकी द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक शमन मानचित्र परमिट संख्या-11/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2012 13 दिनांक 14.05.2013 के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 10.03.2014 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में ही गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त नाही जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं0-2013/इला0/242/सि0ला0/118 दिनांक 21 नवम्बर, 2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद
सं0सं0-2013/इला0/सि0ला0/118
दिनांक : 21 नवम्बर, 2013

हस्ताक्षर

पदनाम : विशेष कार्याधिकारी/
प्र0अ0(त0स0-2) प्रभारी अधिकारी (भवन)-2
कार्यालय की मुहूर्त इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
दिनांक : 11 मार्च, 2014 इलाहाबाद

पत्रांक :- 07/प्र0अ0/C.C/2013-14

दिनांक : 11/03/2014